उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–9
संख्या–103/पांच–9–2013–6(74)/94 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक ९ फरवरी, 2013

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या–10, सन् 1897) की धारा 21 और गर्भधारण पूर्व और प्रसूति निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या–57,सन् 1994) की धारा 17 की उप धारा (3) के खण्ड (ख) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समय–समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या–3020/5–9–2007–6(74)/94 टी0सी0, दिनांक: 30 नवम्बर, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में :–

(क) पैरा–3 में शब्द "खण्ड (ख) के साथ पठित खण्ड (क) के अधीन" के स्थान पर शब्द "खण्ड (ख) के अनुसरण में" रख दिये जायेंगे;

(ख) पैरा–3 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"4–उक्त धारा 17 की उप धारा (3) के खण्ड (ख) के अनुसरण में राज्यपाल राज्य के प्रत्येक तहसील के उप–जिला मजिस्ट्रेट को अपनी अधिकारिता के तहसील के लिए समुचित प्राधिकारी नियुक्त भी करते है और यह निदेश देते हैं कि ऐसे प्राधिकारी जिला समुचित प्राधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे। उप–जिला मजिस्ट्रेट तहसील के किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को पूर्वोक्त अधिनियम, सन् 1994 के कियान्वयन के अनुश्रवण में सहायता करने के लिए, जैसा कि आवश्यक समझा जाय, अपना नामनिर्देशिती नाम निर्दिष्ट कर सकता है।"

आज्ञा से,
संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्या–103(1)/पांच–9–2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना से महामहिम श्री राज्यपाल महोदय को अवगत कराने का कष्ट करें।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4– महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, उ0प्र0।
5– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

6— समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

7— समस्त उप–जिला मजिस्ट्रेट उ०प्र०।

8— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।

9— समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।

10— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उ०प्र०।

11— प्रधानाचार्य, समस्त मेडिकल कॉलेज, उ०प्र०।

12— मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।

13— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार/प्रसार कराने का कष्ट करें।

14— संयुक्त निदेशक (प्रकाशन) मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय प्रेस, उ०प्र०, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 के सामान्य परिनियम सम्बन्धी खण्ड में प्रकाशित करते हुए हिन्दी–अंग्रेजी की एक–एक हजार मुद्रित प्रतियॉं उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग–9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

15— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
उप सचिव।